

**THE MINISTER OF STEEL, MINES AND METALS (DR. CHANNA REDDY) :**

(a) to (d). Presumably the Hon. Member is referring to the idea of having an arrangement by which a truly representative Union of Workers could be recognised in each Plant as the sole bargaining agent empowered to negotiate collective and general issues with the Management and the establishment of a machinery of Joint Standing Committees for securing settlement of industrial disputes by negotiations, conciliation etc. If so, a proposal to this effect has been mooted and some exploratory and preliminary discussions have been held recently with some of the concerned Trade Unions.

**IDLE CAPACITY IN STRUCTURAL STEEL FABRICATION INDUSTRY**

5485. DR. RANEN SEN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a considerable portion of the capacity in structural steel fabrication industry is remaining idle;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to ensure the maximum utilisation of the existing capacity in the industry ?

**THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) :** (a) and (c). Attention is invited to the reply given to Starred Question No. 841 in the Lok Sabha on the 30th June, 1967.

(b) The Engineering industries in general are facing the problem of under utilisation of capacity and this is reflected in the Structural Steel Fabrication industry also.

**IDLE IRON FOUNDRY CAPACITY**

5486. DR. RANEN SEN : Will the Minister of INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large portion of the iron foundry capacity is remaining idle in the eastern region;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the steps taken to ensure the maximum utilisation of the existing capacity in the iron foundry industry in the eastern region ?

**THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) :** (a) Yes, Sir.

(b) Majority of the iron foundries situated in the Eastern Region of the country and registered with DGTD are primarily engaged in the manufacture of Cast Iron Components for the manufacture of Track Fittings such as Cast Iron Sleepers. These foundries are not getting sufficient orders to keep their capacity engaged owing to drastic curtailment by the Railways in their track development programme using track materials like Cast Iron Sleepers.

(c) As scope for diversification of these sleeper manufacturing units to manufacture other items is limited, the utilisation of existing capacity is only possible if the Ministry of Railways intensify their track development programme as far as possible.

**लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये संगठन**

5487. श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लघु उद्योग बोर्ड ने लघु उद्योगों को ऋण देने के लिये एक पृथक संगठन बनाने का सरकार को प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

**औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री कृष्णदत्त अली अहमद) :**

(क) से (ग). अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने सिफारिश की है कि लघु उद्योगों के लिये वित्त व्यवस्था करने हेतु एक अलग

वित्तीय संस्था की स्थापना की जानी चाहिये। इस सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

रास्ते में पड़ने वाले स्टेशनों के लिये आरक्षण का कोटा

5488. श्री महाराज सिंह भारती : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केवल जंक्शनों के लिए नहीं अपितु बीच के स्टेशनों के लिए भी सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिये, स्थानों के आरक्षण के मामले में पर्याप्त कोटा निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) : (क) से (ख). जिन मध्यवर्ती स्टेशनों पर यात्री यातायात बहुत अधिक होता है और आरक्षित स्थान के लिये नियमित रूप से मांग की जाती है, उन के लिये गाड़ियों में आरक्षित स्थान का निर्दिष्ट कोटा अलग से निर्धारित रहता है। अन्य मध्यवर्ती स्टेशनों की आरक्षण सम्बन्धी मांगें उस स्टेशन द्वारा पूरी की जाती हैं जहां से गाड़ी शुरू होती है।

औद्योगिक विकास में तकनीकी महानिदेशालय का योगदान

5489. श्री महाराज सिंह भारती : क्या औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक मंत्रालय में आयोजन विभाग (सैल) तथा तकनीकी विकास महानिदेशालय के अधिकार और मूल्य भिन्न भिन्न हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

औद्योगिक विकास तथा समन्वय-कार्य मंत्री (श्री कृष्णदीन अली ग्रहमद) : (क) योजना प्रकोष्ठ और तकनीकी विकास का महानिदेशालय के कार्य बहुत कुछ भिन्न हैं।

(ख) जब कि योजना प्रकोष्ठ मुख्यतः वास्तविक तथा वित्तीय दोनों प्रकार से पंच वर्षीय योजनाएं और सम्बन्धित मंत्रालयों की वार्षिक योजनाएं और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिये विशिष्ट योजनाएं और प्रस्थापनाएं बनाने हेतु स्थापित किए जाते हैं, दूसरी ओर तकनीकी विकास का महानिदेशालय का काम और भी व्यापक है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय गैर सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं की उत्पादन क्षमता और उत्पादन प्रवृत्तियों का नवीनतम रिकार्ड रखता है। वह विकास योजनाएं बनाने में सुविधा देने की दृष्टि से सम्बन्धित मंत्रालयों की योजना प्रकोष्ठ की उत्पादन क्षमता, उत्पादन तथा औद्योगिक विकास की प्रवृत्तियों के बारे में सभी आंकड़े उपलब्ध करता है। इसके अलावा, वह सरकार को आयात एवं निर्यात नीतियां बनाने, टैरिफ की रक्षा करने, तकनीकी कर्मचारियों के विदेशों में प्रशिक्षण आदि के बारे में मलाह देता है। देश में उपलब्ध उपकरणों, कच्चे माल व पुर्जों को ध्यान में रखते हुए तकनीकी विकास का महानिदेशालय उद्योगों की स्थापना करने तथा उनके सफलतापूर्वक चलाने का लिए आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भी नियत करता है। समय समय पर यह आयातित और दुर्लभ कच्चे माल और तैयार माल की स्थानापन्न वस्तुओं का पता लगाने के लिये अध्ययन करता है। तकनीकी विकास का महानिदेशालय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन गठित विकास परिषदों के काम में मार्गदर्शन करता है और विभिन्न विकास परिषदों का सचिवालय कार्य भी करता है।